

16 जून 2024 को विद्या आश्रम पर सुर साधना संयोजन समिति की बैठक में प्रस्तुत

वाराणसी ज्ञान पंचायत पहल वार्ड ज्ञान पंचायत का खाका

वार्ड ज्ञान पंचायत यह वार्ड-समाज की ज्ञान पंचायत है।
इस पंचायत में वार्ड-समाज की बेहतरी के लिए अपने ज्ञान का दान
करना सभी वार्ड निवासियों का कर्तव्य बनता है।

विचार : ज्ञान पंचायत यह वार्ड के सभी निवासियों के ज्ञान की भागीदारी का स्थान है। ज्ञान पंचायत की मान्यता है कि हर स्त्री-पुरुष ज्ञानी है, यह ज़रूर है कि ये अलग-अलग तरह के ज्ञान के ज्ञानी हैं। समाज को हर तरह के ज्ञान की ज़रूरत है। वार्ड ज्ञान पंचायत वार्ड के निवासियों के तरह-तरह के ज्ञान को सामने लाने का और इसे वार्ड की बेहतरी में कैसे लगाया जाए, इसे उजागर करने का एक **सांस्कृतिक मंच** है। वार्ड में होने वाली हर गतिविधि और व्यवस्था के ज्ञानगत पक्षों को सामने लाने की और ज्ञान के संवर्धन की यह एक गतिशील लोकस्थ और अराजनीतिक व्यवस्था का प्रस्ताव है।

ज्ञान पंचायत में हर जाति और धर्म, स्त्री हो या पुरुष, अमीर हो या गरीब, पढ़े-लिखे हो या अनपढ़ सभी के ज्ञान को बराबरी का सम्मान है और सभी की राय का इस पंचायत में बराबर का महत्त्व है।

प्रस्तावित ढांचा

वार्ड ज्ञान पंचायत में सर्व सहमति से स्वीकार कुल 32 सदस्य होंगे। तीन (?) वर्ष की अवधि के लिए बनाई इस ज्ञान पंचायत में कोशिश यह रहें कि सभी समाजों के लोग शामिल हो सकें।

- 1. पांच पञ्च :** दो स्त्रियाँ, दो पुरुष, एक और व्यक्ति (पुरुष अथवा स्त्री)
- 2. दर्शन और भाईचारा समिति (6 सदस्य) :** किसान, कारीगर, गृहणी, कलाकार, दुकानदार, संत स्त्री-पुरुष इस समिति में होंगे, जो विविधता के बीच न्याय और सहजीवन के रास्ते बनाने के सुझाव दृष्टान्त, उदहारण, परंपरा, कहानियाँ, गीत, नाटक आदि का आयोजन और कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे।
- 3. ज्ञानलेखा समिति (4 सदस्य) :** जानकार व्यक्तियों का रजिस्टर
 - स्थानीय ज्ञानी (हर निवासी के ज्ञान का विवरण)
 - स्थानीय संसाधनों के बारे में जानकारी रखने वाले
 - स्थानीय प्रबंधन का ज्ञान रखने वाले
 - स्थानीय कलाकार
- 4. ज्ञान संरक्षण समिति (4 सदस्य) :**
 - स्थानीय संसाधनों का वार्ड में लोकहितकारी इस्तेमाल करने के रास्ते सुझाना और इन्हें समृद्ध करने के ज्ञान को बढ़ावा देना।
 - स्थानीय ज्ञान के पक्ष में लोकमत बनाना और बढ़ावा देना।
 - स्थानीय संसाधन और स्थानीय ज्ञान के बीच गतिशील सम्बन्ध बनाना।
- 5. व्यवस्था और वार्ता समिति (4 सदस्य) :** व्यवस्था और वार्ता हेतु प्रत्येक के लिए एक सदस्य
 - सार्वजनिक उत्सव और मेले आदि के लिए,
 - नगर निगम से वार्ता के लिए,
 - सरकारी विभागों/अधिकारी से वार्ता के लिए,
 - सामाजिक-राजनीतिक नेतृत्व से वार्ता के लिए,

- 6. वित्त समिति (4 सदस्य) :** यह स्थानीय सेवाओं और सामग्री के लिए स्थानीय वित्त संग्रह के लिए सलाह और सुझाव देने वाले लोगों की समिति होगी.
- नई बन रही व्यवस्थाओं में स्थानीय कर के प्रकार, संग्रह और निवेश के लिए सुझाव देना.
 - वितरित राजस्व व्यवस्था के प्रकारों की जानकारी एकत्र करेंगे .
- 7. कार्यकारिणी (5 सदस्य) :** वार्ड की स्थितियों की जानकारी रखना और निर्माण व रखरखाव के बारे में सुझाव देना तथा इसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी का पक्ष प्रस्तुत करना.
- पानी, बिजली, सीवर, कूड़ा और सड़क व्यवस्था, परिवहन आदि के लिए.
 - विद्यालय स्वास्थ्य-चिकित्सा केंद्र, आस्था के स्थान, कला-सांस्कृतिक केंद्र और उनकी गतिविधियाँ और आपसी विवादों को सुलझाने के लिए.

सभी समितियां अपने कार्यों को वार्ड ज्ञान पंचायत में पंचों के सामने रखेंगी.
ये ज्ञान पंचायत एक ऋतू में दो बार यानि वर्ष में कुल बारह होंगी. इस पंचायत में सरकारी अधिकारी/कर्मचारी और राजनीतिक नेताओं/ सदस्यों को बोलने का अधिकार पंचायत की राय से ही तय होगा.

वार्ड ज्ञान पंचायत बनाने का पहला चरण निम्नलिखित जानकारी के एकत्र करने और पांच पंचों के नामों के सुझाव के साथ शुरू होगा. यह चरण वार्ड सलारपुर और वार्ड जलालीपुरा के लिए हो चुका है.

1. वार्ड नंबर और नाम :
2. कुल मोहल्ले और उनके नाम :
3. आबादी :
 - कुल घर :
 - वोटर्स :
4. आबादी का पेशा : संख्या
 - सरकारी :
 - निजी :
5. पेशे का प्रकार : संख्या
 - सरकारी कर्मचारी :
 - दुकानदार :
 - कारीगर :
 - दिहाड़ी :
 - ठेला-पटरी :
 - अन्य :
6. बाज़ार :
 - कुल दुकानें और उनके बारे में (संख्या)
7. नगर निगम द्वारा उपलब्ध सुविधाएँ :
 - पेय जल :
 - सड़कों पर बिजली :
 - कूड़ा पेटी : संख्या
 - कूड़ा कंपनी का नाम :

- सीवर :
 - सड़क (कच्ची और पक्की की संख्या)
 - आस्था के स्थान : संख्या
 - अस्पताल:
 - विद्यालय/स्कूल :
8. सार्वजनिक सांस्कृतिक स्थान :
- मेले :
 - पुस्तकालय :
 - खेल के मैदान :
 - बगीचे :
 - कला केंद्र :
9. अन्य :
10. वार्ड के समझदार बुजुर्ग और युवाओं के बारे में.
-